

**बिहार सरकार**  
**मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग**

सं०— मं०मं०—०१ / आर०—२८ / २००६ ..... ६४० / पटना—१५, दिनांक २९।५।, २०१५

—:: अधिसूचना ::—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली, १९७९ (समय—समय पर यथा संशोधित) की प्रथम अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन तुरंत के प्रभाव से करते हैं :—

—:: संशोधन ::—

बिहार कार्यपालिका नियमावली, १९७९ (समय—समय पर यथा संशोधित) की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित विभागों की सूची के क्रमांक—०२ संसदीय कार्य विभाग को आवंटित कार्यों की सूची के क्रमांक '१४' के बाद निम्नलिखित एक नया क्रमांक—'१५' जोड़ा जाएगा :—

"१५. बिहार विधान सभा एवं विधान परिषद् के सभी प्रशासनिक विषय"

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शिशिर सिन्हा)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक— मं०मं०—०१ / आर०—२८ / २००६ ..... ६४० / पटना—१५, दिनांक २९।५।, २०१५

प्रतिलिपि:— राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मंत्रियों के आप्त सचिव/सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिशिर सिन्हा)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक— मं०मं०—०१ / आर०—२८ / २००६ ..... ६४० / पटना—१५, दिनांक २९।५।, २०१५

प्रतिलिपि:— अवर सचिव, वित्त विभाग (ई गजट शाखा), बिहार, पटना/अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना—७ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाए तथा इसकी 100 (एक सौ) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भी उपलब्ध कराई जाए।

(शिशिर सिन्हा)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक— मं०मं०—०१ / आर०—२८ / २००६ ..... ६४० / पटना—१५, दिनांक २९।५।, २०१५

प्रतिलिपि:— सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिशिर सिन्हा)

सरकार के प्रधान सचिव